## File No. MCDR-MCFDBCNINFLOGFENIO236A3NO213BMJNRQCAJMputer No. 7010)

1/30975/2024

## Violation letter/उल्लंघन पत्र (Speed post/ द्रुत डाक)

1/30975/2024

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्युरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय माखूपुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in





Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

दिनांक: 01/05/2024

संख्या: MCDR-MiFL0GEN/16/2023--AJM-IBM RO AJM

प्रेषित: Shri Ratan Lal Khatri

House No. B12, RIICO Residential Colony

Opposite FCI Godam, Near South West Mining Ltd. Office

RIICO, Barmer

District : Barmer (Rajasthan)- 344001 इमेल : ( ratanbhoot@gmail.com)

विषय- राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित आपकी साजित सिलीशियस अर्थ खान, एमएल नं.-161/2013 , क्षेत्रफल 4.3630 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन ।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 01/12/2023 by undersign in presence of Shri Ratan Lal Khatri, Owner.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operation has not been carried out in accordance to the Review of Mining Plan
	approved on 24/03/2021 to the extent given below for the year 2022-23:
	1. It was proposed to mine out 13,200 tones of ROM from the mine during the year 2022-23. But as per annual return submitted the quantity of ROM excavated during the year is 3400 tones, which is much below the proposed ROM production.
	<ol> <li>It was propose to plant 48 saplings during the year 2022-23. But only 40 saplings planted during the year 2022-23.</li> </ol>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आर्कषित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंर्तगत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली ,2017 के अंर्तगत :

- (क) आपकी खान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(पंकज कुलश्रेष्ठ) सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर